प्र.सं. ..../ दावा / प्र.पत्र / ....

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
12/12/25	पत्रावली पेश हुई अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित है। आज श्रीमान उपखण्ड अधिकारी राज्य कार्यवश बाहर दौरे में तशरीफ रखते है। अन्य कार्य में व्यस्त है। अभिभाषकगण कन्डोलेन्स पर है। अतः पत्रावली साबिक कार्यवाही हेतु दिनांक 18/12/25 को पेश हो। (हस्ताक्षर)
18/12/25	वकील वादी उप. विपक्ष उभयपक्ष सुनी गई पत्रावली वास्ते आदेश दि. 26/12/2025 को पेश हो। (हस्ताक्षर)
26/12/25	पत्रावली आज वास्ते आदेश पेश हुई वाद वादी स्वीकार कर वादीगण ।लगायत 5 भोलू के वारिसान व वादी क्र. 6 लगा. 10 नानू के वारिसान को 1/5--1/5 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर खुले न्याया. सुनाया गया। डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय शा. मि. किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तामील तकमील नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ता...

हीरालाल बनाम भूरालाल
प्रकरण सं0 63/2022

तनकीयात

1. आया वादीगण विवादित आराजी ... 1/4 विलोपित करवाकर 1/5 ... के अधिकारी है ।
2. आया नामान्तकरण के वि... वाद खारिज होने योग्य है ...
3. अनुतोष

P.W.1

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तालेडा जिला बूंदी

(पीठासीन अधिकारी श्रीमति ममता नरेश आर.ए.एस.)

मिसल नं0
63/दावा/2022

तारीख दायरा
06.10.2022

तारीख फैसला
26.12.2025

1. हीरालाल आयु 69 वर्ष आ0 श्री भोलू जाति धाकड निवासी गाम लक्ष्मीपुरा तहसील तालेडा जिला बून्दी
2. अनिल आयु 31 वर्ष आ0 श्री रामलाल जाति धाकड नि. ग्राम लक्ष्मीपुरा तहसील तालेडा जिला बून्दी
3. सीता बाई आयु 54 वर्ष पत्नि श्री रामलाल जाति धाकड नि. ग्राम लक्ष्मीपुरा तहसील तालेडा जिला बून्दी (राज.)
4. मोहन आयु 62 वर्ष आ. श्री भोलू जाति धाकड निवासी ग्राम लक्ष्मीपुरा तहसील तालेडा जिला बून्दी(राज.)
5. केसर आयु 73 वर्ष पुत्री श्री भोलू जाति धाकड निवासी गम लक्ष्मीपुरा तहसील तालेडा जिला बून्दी (राज.)
6. कुकालाल आयु 60 वर्ष आ. श्री नानू जाति धाकड नि. ग्राम डोबिया तह. बिजौलिया जिला भीलवाडा (राज.)
7. कन्हैयालाल आयु 58 वर्ष आ0 श्री नानू जाति धाकड नि. गाम डोबिया तह. बिजौलिया जिला भीलवाडा
8. शम्भूलाल आयु 55 वर्ष आ0 श्री नानू जाति धाकड निवासी ग्राम डोबिया तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा
9. पन्नी बाई 68 आयु वयस्क पुत्री श्री नानू जाति धाकड नि. ग्राम डोबिया तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा
10. प्यारी बाई आयु 81 वर्ष पत्नि श्री नानू जाति धाकड निवासी गाम डोबिया तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा

वादीगण

बनाम

1. भूरालाल आयु बालिग पुत्र औकार जाति धाकड निवासी ग्राम लक्ष्मीपुरा तहसील तालेडा जिला बून्दी (राज0)
2. लदूर आयु बालिग आ0 श्री शंकर जाति श्री शंकर जाति धाकड नि. ग्राम लक्ष्मीपुरा तह. तालेडा जिला बून्दी
3. लालूराम आयु बालिग आ0 श्री शंकर जाति धाकड निवासी गम लक्षमीपुरा तहसील तालेडा जिला बून्दी (राज0)
4. मदन आयु बालिग आ0 श्री शंकर जाति धाकड निवासी ग्राम लक्ष्मीपुरा तहसील तालेडा जिला बून्दी (राज0)
5. सीता आयु बालिग पुत्री शंकर जाति धाकड निवासी ग्राम लक्ष्मीपुरा तहसील तालेडा जिला बून्दी (राज0)
6. रामकंवरी आयु बालिग पुत्री शंकर जाति धाकड निवासी ग्राम लक्ष्मीपुरा तहसील तालेडा जिला बून्दी (राज0)
7. रामेशचन्द्र अयु बालिग आ0 श्री बालू जाति धाकड निवासी ग्राम डोबिया तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा
8. देराम आयू बालिग आ0 श्री बालू जाति धाकड निवासी ग्राम डोबिया तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा
9. राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार, तालेडा जिला बून्दी (राज0)

प्रतिवादीगण

उपस्थित अभिभाषक
अधिवक्ता वादी :– श्री बृजमोहन गौतम
अधिवक्ता प्रतिवादी :–

– : : निर्णय : : –

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, आर0टी0एक्ट व 136 एल0आर0एक्ट

वादी द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, आर0टी0एक्ट व 136 एल0आर0एक्ट के तहत प्रस्तुत किया। वाद पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि कृषि भूमि खसरा संख्या 560 रकबा 0.2023 है0, खसरा संख्या 561 रकबा 0.2428 है0, खसरा संख्या 562 रकबा 0.2266 है0, खसरा संख्या 577 रकबा 0.3237 है0, खसरा संख्या 580 रकबा 0.2833 है0, खसरा संख्या 581 रकबा 0.2590 है0, खसरा संख्या 590 रकबा 0.0243 है0, खसरा संख्या 638 रकबा 0.6718 है0 एवं खसरा संख्या 643 रकबा 0.4452 है0 कुल किता 9 कुल रकबा 2.6790 है0 जो वाके ग्राम लक्ष्मीपुरा पटवार क्षैत्र गोपालपुरा तहसील तालेडा जिला बून्दी राजस्थान में स्थित हैं। जो वर्तमान जमाबंदी सम्वत 2076 की खाता संख्या नई–45 व पुरानी 44 में वादीगण एवं प्रतिवादीगण के सयुंक्त रूप से खाते दर्ज हैं। वाद पत्र की चरण क्रम 1 मे वर्णित कृषि भूमि की जमाबन्दी संवत 2076 में वर्तमान राजस्व रेकार्ड में कुकालाल पुत्र नानू हिस्सा 1/40, कन्हैयालाल पुत्र नानू हिस्सा 1/40, केसर बाई पुत्री भोलू हिस्सा 1/32, पन्नी बाई पुत्री नानू हिस्सा 1/40, प्यारी बाई पत्नी स्वर्गीय नानू 1/40, मोहन पुत्र भोलू हिस्सा1/32 रामलाल पुत्र भोलू हिस्सा 1/32, शम्भूलाल पुत्र नानू हिस्सा 1/40, हीरालाल पूत्र भोलू हिस्सा 1/32 जातियान धाकड खातेदारान् दर्ज हैं। वादीगण एवं प्रतिवादीगण एक ही परिवार के व्यक्ति हैं, इनके मूल पुरुष गिरधारीलाल जी थे। स्वर्गीय गिरधारीलॉल जी के पांच पुत्र क्रमशः देवीलाल, जयलाल, भोलू, औकार और नानू थे। गिरधारी लाल जी की मृत्यु के बाद वादपत्र की चरण क्रम–1 में वर्णित कृषि भूमि पर सभी पुत्रों का 1/5–1/5 हिस्सा निहित था। गिरधारीलाल जी की खातेदारी की उक्त कृषि भूमि पर सभी पांचो पुत्रो का समान रूप से अधिकार निहित हैं। गिरधारीलाल जी की मृत्यु के पश्चात् सभी

पुत्रो के नाम उक्त भूमि 1/5 हिस्से में दर्ज की जानी चाहिऐ. जिसका वादीगण को अधिकार प्राप्त हैं। स्वर्गीय गिरधारीलाल जी की मृत्यू के पश्चात् वाद ग्रस्त कृषि भूमि के सम्बन्ध में जमाबंदी सम्वत 2015 से 2018 में उक्त भूमि राजस्व रेकार्ड में शंकर वल्द देवी व बालू, जयलाल व भोलू औकांर, नानू पिसरान गिरधारी धाकड लक्ष्मीपुरा हिस्सा बराबर अंकित था। जमाबंदी सेटलमेन्ट में भी सभी पुत्रो को बराबर हिस्सा दर्ज था व जमाबंदी सम्वत् 2044 में भी सभी पुत्रो का हिस्सा बराबर दर्ज था। अर्थात सभी पुत्रो का उक्त भूमि पर 1/5 – 1/5 हिस्सा था। जमाबंदी सम्वत् 2048 से 2051 में भोलू की मृत्यु का नामान्तकरण संख्या–06 दिनांक 26.05.1990 तस्दीक हुआ। जिसमें हिस्से का अंकन किया गया। उक्त हिस्सा शंकर वल्द देवी 1 /4, बालू वल्द जयलाल हिस्सा 1/4, मैदा उर्फ नानू वल्द गिरधारी हिस्सा 1/8 व भोलू के वारिसान हिरालाल, रामलाल, मोहन पिसरान भोलू व केसर पुत्री भोलू, झमकू बैवा भोलू हिस्सा 1/8, भूरालाल वल्द औंकार हिस्सा 1/4 कौम धाकड साकिन देह नामान्तकरण संख्या–06 में जो खातेदार बत्तोर प्रविष्ठि की गई उसमें हिस्सा का गलत अंकन कर दिया एवं उसके पश्चात् बनने वाली जमाबंदी सम्वत् 2048 से 2051 में भी उक्त गिरधारीलाल जी के पश्चात् सभी पुत्रो का 1/5–1/5 हिस्सा दर्ज होना चाहिऐ था, जो सर्वप्रथम अंको में सम्वत 2048 से 2051 की जमाबंदी में अंकन किया, जिसमें वाद पत्र की चरण क्रम–1 में वर्णित कृषि भूमि में शंकर वल्द देवी का हिस्सा 1/5 होना चाहिऐ था, जो 1/4 दर्ज कर दिया तथा बालू वल्द जयलाल का हिस्सा 1/5 दर्ज होना चाहिऐ था, जो 1/4 दर्ज कर दिया एवं मैदा उर्फ नानू का हिस्सा 1/8 व भोलू के 1/8 दर्ज कर दिया। जबकि नानू व भोलू का हिस्सा 1/5–1/5 है व भूरालाल वल्द औकार का हिस्सा 1/5 होना चाहिऐ, जो हिस्सा 1/4 दर्ज कर दिया। उक्त राजस्व रेकार्ड में 1/4 की प्रविष्ठि गलत हैं बल्कि गिरधारी लाल जी के सभी पुत्र क्रमशः देवीलाल, जयलाल, भोलू, औकार और नानू उक्त इन पांचो पुत्रो का गिरधारीलाल की वाद पत्र की चरण क्रम–1 में वर्णित कृषि भूमि में समान रूप से हिस्सा निहित हैं, जो प्रत्येक का हिस्सा 1/5 हैं। वाद पत्र में वर्णित कृषि भूमि पर वादीगण गिरधारीलाल जी के पांचो पूत्र के रूप में निमित हिस्सा 1/5 के आधार पर ही वर्तमान में काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं, जो करीब 50 वर्ष से काबिज होकर अपने हिस्सा अनुसार प्रत्येक 1/5 में काबिज हैं। केवल मात्र राजस्व रेकार्ड में गलत हिस्सा दर्ज हैं। जिसको वादीगण दुरस्त करवाना चाहते हैं। वाद पत्र में वर्णित कृषि भूमि संयुक्त परिवार की कृषि भूमि हैं, वादीगण स्वर्गीय गिरधारीलाल जी के दो पूत्र नानू व भोलू के वारिसान हैं, जिनका ही हिस्सा कम लिखा हैं। जिसे वादीगण दुरस्त करवाना चाहते हैं व अपने हिस्से अर्थात् नानू का हिस्सा 1/5 व भोलू का हिस्सा 1/5 का वादीगण अपने खाते में दर्ज करवाने की घोषणा करवाना चाहते हैं। वादीगण को अधिकार प्राप्त हैं कि वाद पत्र में वर्णित कृषि भूमि पर वादीगण भोलू के वारिसान व नानू के वारिसान को 1/5 – 1/5 हिस्से का खातेदार घोषित किया जावे व राजस्व रेकार्ड में खातेदार गिरधारीलाल जी के पूत्र औकार, देवीलाल व जयलाल का हिस्सा 1/4 के अंकन को विलोपित किया जाकर उक्त तीनों गिरधारीलाल जी के पुत्रो का हिस्सा दुरस्त किया जाकर 1/4 के स्थान पर इनका हिस्सा 1/5 दर्ज किया जावे एवं इनके वारिसानों का हिस्सा भी उसी अनुपात में दर्ज किया जावें। इस आशय का इन्द्राज राजस्व रेकार्ड में दुरस्त फरमाया जावें। वाद कारण दिनांक 11.09.2022 को न्यायालय के न्यायिक क्षैत्र में वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण से कृषि भूमि में निहित हिस्से को सही करने की कहने पर प्रतिवादीगण द्वारा इंकार करने पर उत्पन्न हुआ, जो निरन्तर उत्पन्न हो रहा हैं।अतः प्रार्थना है कि वादीगण के पक्ष मे प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे । वाद पत्र की चरण क्रम–1 में वर्णित कृषि भूमि पर वादीगण क्रम– 1 लगायत 5 भोलू के वारिसान व वादी क्रम–6 लगायत 10 नानु के वारिसान को 1/5– 1/5 हिस्से का खातेदार घोषित किया जावे व राजस्व रेकार्ड में खातेदार गिरधारीलाल जी के पुत्र औकार, देवीलाल व जयलाल का हिस्सा 1/4 के अंकन को विलोपित किया जाकर उक्त तीनों गिरधारीलाल जी के पुत्रो का हिस्सा दुरस्त किया जाकर 1/4 के स्थान पर इनका हिस्सा 1/5 दर्ज किया जावें एवं इनके वारिसानों का हिस्सा भी उसी अनुपात में दर्ज किया जावें । इस आशय का इन्द्राज राजस्व रेकार्ड में दुरस्त फरमाया जावें।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जर्ये नोटिस तलब किया गया।

प्रतिवादीगण 1 लगायत 8 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

प्रतिवादी 9 व 10 की और से पेरोकार सरकार ने जवाब प्रस्तुत कर अंकित किया कि मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार तालेडा के अनुसार गिरधारी के पांचो पुत्र भोलू, नानू उर्फ नन्दा,औकार, देवीलाल, जयलाल का प्रत्येक का हिस्सा 1/5 एवं उनके वारिसान का हिस्सा उसी अनुपात में किया जाना प्रस्तावित है।

तहसीलदार तालेडा द्वारा प्रेषित रिपोर्ट में भी गिरधारीलाल के पांच पुत्रो के मध्य दोराने नामांकन गलत हिस्सा दर्ज होना स्वीकार कर अंकित किया कि नामान्तकरण सं0 6 दिनांक 26.05.1990 से हुआ। हिस्सो का अंकन प्रत्येक खातेदार को हिस्सा 1/5 के स्थान पर हिस्सा 1/4 अशुद्ध दर्ज हो गया है। चूंकि मूल पुरूष गिरधारीलाल के पांच पुत्र

होने से सभी वारिसों का हिस्सा 1/5 आना चाहिये था किन्तु उक्त नामान्तकरण का जमाबन्दी संवत् 2041–51 में अमल किया गया जिसमें हिस्सा 1/5 के स्थान पर हिस्सा 1/4 सहवन से अंकित कर दिया है। जो आज दिनांक जमाबन्दी में चल रहा है ।

वाद पत्र एवं जवाब पेरोकार सरकार के आधार पर वाद में दिनांक 13.11.2025 को वाद पत्र में निम्नांकित तनकीयात कायम की गयी।

1. आया वादीगण विवादित आराजी में प्रतिवादी का हिस्सा 1/4 विलोपित करवाकर 1/5 का खातेदार घोषित करवाने के अधिकारी है।

2. आया नामान्तकरण के विरूद्ध अपील का विकल्प होने से वाद खारिज होने योग्य है। वादीगण

3. अनुतोष प्रतिवादीगण

वादीगण की और से वाद पत्र के समर्थन में साक्ष्य में हीरालाल आ0 भोलू का शपथ पत्र पेश कर वाद पत्र के साथ प्रस्तुत जमाबन्दी प्रदर्श–1, जमाबन्दी संवत् 2028 प्रदर्श–2, जमाबन्दी संवत् 2048 प्रदर्श–3, जमाबन्दी संवत् 2044–47 प्रदर्श–4, जमाबन्दी संवत् 2035–38 प्रदर्श–5, जमाबन्दी संवत् 2039–42 प्रदर्श–6, जमाबन्दी संवत् 2015 प्रदर्श–7, मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श–8, जमाबन्दी संवत् 2060 प्रदर्श–9, जमाबन्दी संवत् 2048–51 प्रदर्श–10, सेटलमेन्ट जमाबन्दी प्रदर्श–11, जमाबन्दी संवत् 2044–47 प्रदर्श–12, जमाबन्दी संवत् 2056–59 प्रदर्श–13, जमाबन्दी संवत् 2068–71 प्रदर्श–14, नामान्तकरण सं0 6 प्रदर्श–15 अंकित किये।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी वादी ने वाद पत्र में अंकित तथ्यों, बहस एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज प्रदर्श–1 लगायत 15 व रिपोर्ट तहसीलदार तालेडा का गौर करवाते हुये वाद पत्र की चरण क्रम–1 में वर्णित कृषि भूमि पर वादीगण क्रम– 1 लगायत 5 भोलू के वारिसान व वादी क्रम–6 लगायत 10 नानु के वारिसान को 1/5– 1/5 हिस्से का खातेदार घोषित किया जावे व राजस्व रेकार्ड में खातेदार गिरधारीलाल जी के पुत्र औकार, देवीलाल व जयलाल का हिस्सा 1/4 के अंकन को विलोपित किया जाकर उक्त तीनों गिरधारीलाल जी के पुत्रो का हिस्सा दुरस्त किया जाकर 1/4 के स्थान पर इनका हिस्सा 1/5 दर्ज किया जावें एवं इनके वारिसानों का हिस्सा भी उसी अनुपात में दर्ज किये जाने का निवेदन किया।

पेरोकार सरकार ने तहसीलदार तालेडा की रिपोर्ट के आधार पर नामान्तकरण सं0 6 में त्रुटी होना स्वीकार करते हुये वादीगण को नामान्तकरण की अपील का प्रावधान ना होने से वाद वादी खारिज करने का निवेदन किया।

वाद पत्र में कायम तनकीयात का बिन्दू वार विवेचन निम्नानुसार है।

1. आया वादीगण विवादित आराजी में प्रतिवादी का हिस्सा 1/4 विलोपित करवाकर 1/5 का खातेदार घोषित करवाने के अधिकारी है।

उक्त तनकी को सिद्व करने का भार वादी पर था। वादी ने अपने वाद पत्र के समर्थन में शपथ पत्र एवं दस्तावेज प्रदर्श–1 लगायत 15 पेश किये गये जिनका अवलोकन करने पर प्रदर्श–2 नकल जमाबन्दी संवत 2028–43 , जमाबन्दी संवत 2044–47 प्रदर्श–4, जमाबन्दी संवत 2028–47 भू–प्रबंध विभाग प्रदर्श–11 का अवलोकन करने पर यह प्रतीत होता है कि गिरधारीलाल के पांच पुत्र थे जिनका हिस्सा बराबर अंकित था किन्तु दस्तावेज जमाबन्दी संवत 2048–51 प्रदर्श–3 व प्रदर्श–15 नामान्तकरण एवं पेश अन्य जमाबन्दी का अवलोकन करने पर गिरधारीलाल के वारिसान में 3 पुत्रो के हिस्सा 1/4 व 2 पुत्रो के 1/8 हिस्सा अंकित कर दिया गया जो त्रुटीपूर्ण अंकन था। उक्त नामान्तकरण के पश्चात सभी पक्षकारान् का हिस्सा त्रुटीपूर्ण दर्ज चला आ रहा है जिसे दुरूस्त करवाया जाकर प्रतिवादीगण का हिस्सा 1/4 विलोपित करवाकर 1/5 का खातेदार घोषित करवाने का वादीगण को अधिकार प्राप्त है अतः यह तनकी साक्ष्य एवं दस्तावेजो के आधार पर वादीगण के पक्ष में प्रमाणित की जाती है।

2. आया नामान्तकरण के विरूद्ध अपील का विकल्प होने से वाद खारिज होने योग्य है।

इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी पर था पेरोकार सरकार द्वारा प्रस्तुत जवाब अनुसार उक्त त्रुटी फोती नामान्तकरण सं0 6 में गलत प्रविष्ठि से हुई है इसलिये उक्त नामान्तकरण की अपील का विकल्प वादीगण के पास था। किन्तु वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 88,89 आर0टी0 एक्ट एवं 136 एलआर0 एक्ट मे भी

DW1

वादीगण को खातेदारी अधिकार प्राप्त करने एवं रिकार्ड में गलत प्रविष्ठि को दुरूस्त कराने के अधिकार प्राप्त होने से वाद को इस आधार पर विधि विरूद्ध नही माना जा सकता। अतः यह तनकी वादीगण के पक्ष मे आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है।

3. अनुतोष – वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र, साक्ष्य शपथ पत्र, दस्तावेज प्रदर्श–1 लगायत 15 , रिपोर्ट तहसीलदार का अवलोकन करने एवं बहस उभयपक्ष पर मनन करने पर वाद में कायम तनकियो का बिन्दुवार विवेचन से हम इस निष्कर्ष पर पहुचे है कि वाद वर्णित आराजी पर दर्ज नामान्तकरण सं0 6 में दोराने फोती नामान्तकरण प्रविष्ठि अंकित करने के दोरान खातेदारो का हिस्सा गलत प्रविष्ठ हो गया है जिससे राजस्व प्रविष्ठि जमाबन्दी में दर्ज हिस्से 1/4 को विलोपित कराकर सही प्रविष्ठि 1/5 हिस्सा वादीगण के पक्ष में किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री फरमायी जाती है कि कृषि भूमि खसरा संख्या 560 रकबा 0.2023 है0, खसरा संख्या 561 रकबा 0.2428 है0, खसरा संख्या 562 रकबा 0.2266 है0, खसरा संख्या 577 रकबा 0.3237 है0, खसरा संख्या 580 रकबा 0.2833 है0, खसरा संख्या 581 रकबा 0.2590 है0, खसरा संख्या 590 रकबा 0.0243 है0, खसरा संख्या 638 रकबा 0.6718 है0 एवं खसरा संख्या 643 रकबा 0.4452 है0 कुल किता 9 कुल रकबा 2.6790 है0 जो वाके ग्राम लक्ष्मीपुरा पटवार क्षैत्र गोपालपुरा तहसील तालेडा पर वादीगण 1 लगायत 5 भोलू के वारिसान व वादी क्रं0 6 लगायत 10 नानू के वारिसान को 1/5–1/5 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है व राजस्व रेकार्ड में खातेदार गिरधारीलाल जी के पुत्र औकार, देवीलाल व जयलाल का हिस्सा 1/4 के अंकन को विलोपित किया जाकर उक्त तीनों गिरधारीलाल जी के पुत्रो का हिस्सा दुरस्त किया जाकर 1/4 के स्थान पर हिस्सा 1/5 का खातेदार घोषित किया जाता है। तत्पश्चात इनके वारिसानों का हिस्सा भी उसी अनुपात में दर्ज किया जावें। डिक्री पर्चा जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 26.12.2025 को मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(मनस्वी नरेश)
उपखण्ड अधिकारी
तालेडा